

8-चिकित्सा प्रतिपूर्ति

क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।	सं०:-286/xxvii(7)09(II)/2011 दिनांक: 30 दिसम्बर, 2011	139-140
2	उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में।	सं०:-679/xxviii-3-2011- 437/2002 टी०सी० दिनांक: 28 जुलाई, 2011	141-142

प्रषक:

हमलता ढौंडियाल,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

संवामें

समस्त विभागाध्यक्ष/कायालयध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(व0आ0-सा0रने0)अनु0-07

देहरादून दिनांक: 30 दिसम्बर, 2011

विषय:- अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09-11-2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3531/5-6-04-294/6 दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई, 2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09-11-2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानांतरित किये गये हैं कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तरराज्यीय समायोजन हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: सा0-3-661/दस-2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 1892/5-6-11-294/96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त, 2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3531/5-6-04-294/6 दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09-11-2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


3 राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तरराज्यीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय,  
  
(हमलता ढौंडियाल)  
सचिव, वित्त।

संख्या २३६ (1)/XXVII (7) 09(II)/ 2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
- 5- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल / कुमाऊं।
- 11- रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर / देहरादून।
- 12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13- वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
- 15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
- 16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से  


(शरद चन्द्र पाण्डेय)  
अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 28 जुलाई, 2011

विषय: उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-679/चि०-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-6(i) में निहित व्यवस्थानुसार विभिन्न प्रशासकीय विभागों से परामर्श हेतु संदर्भित प्रकरणों के परीक्षण आदि में प्रायः यह दृष्टिगत हो रहा है कि समयाभाव के कारण सरकारी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक का स्थायी निवास राज्य के भीतर न होकर राज्य के बाहर होना, संदर्भण की व्यवस्था में होने वाला विलम्ब, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता एवं सभी कार्मिकों के पास दूरसंचार सुविधा न होने के दृष्टिगत समय अधिक लगने के कारण कराये गये उपचार के मामलों में उपचार मुक्त होने के 03 माह के अन्दर उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा इस पर छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.09.2006 के प्रस्तर-6(i) में निहित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुये उपचार मुक्त होने के उपरान्त आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा को 03 माह के स्थान पर 06 माह किये जाने का निर्णय लिया है। शासनादेश दिनांक 04.09.2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय

(डा० उमाकान्त पंवार)  
सचिव।

प०संख्या- 679 (1)/XXVIII-3-2011-437/2002टी०सी०, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)  
अपर सचिव।